न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 29/18 **निर्णय दिनांक 21.08.2018**

1. धोंकलराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. ठाकरराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. भगाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. रामीदेवी पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 15—06—2018

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 15—06—2018 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही चक 282—600 आरडी के मुरब्बा नम्बर 12/8 के किला नम्बर 21/2 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 12/19 के किला नम्बर 2 में 1 बीघा, किला नम्बर 3 में 4 बिस्वा कुल तादादी 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि इसी चक 282—600 आरडी के मुरब्बा नम्बर 12/19 के किला नम्बर 1/2 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 3/2 में 11 बिस्वा, किला नम्बर 11/2 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 12 में 1 बीघा कुल तादादी 6.05 बीघा स्थित है। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलांट काबिज काश्तकार है।

उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त भूमि में मुरब्बा नम्बर 12/18 के किला नम्बर 21/1 में 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 12/19 के किला नम्बर 1/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जोकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता विगत् 50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है। उक्त रास्ते के चिपता पूर्व दिशा में अपीलांट की भूमि पर खाला बना हुआ है। रास्ते की पश्चित दिशा में रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि है। रेस्पोडेन्ट उक्त रास्ते की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है तथा उक्त रास्ते को अपीलांट की खातेदारी भूमि में चल रहे खाते के पूर्व दिशा में बताते है तथा अपीलांट की भूमि पवर जबरन नया रास्ता कायम करना चाहते है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अमला से मिलकर अवैध रूप से नया रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि से महरूम होना पड़ेंगा तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में मूलतः विवाद रास्ते व खाले का है। इस संबंध में मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड में भिन्न्ता है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् वस्तुस्थिति राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी एवं नक्शे तथा मौका निरीक्षण के उपरान्त ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे पक्षकारों की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बिना माईन्ड एप्लाई किये मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालात मातहत का उक्त आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि वे वादगत् भूमि के बाबत् मौका निरीक्षण करते हुए व राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में विधिवत निर्णय पातिर करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध अपूरणीय क्षति, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति के विपरीत जाकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं जबकि वादगत् भूमि के बाबत् नजरी नक्शें के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रास्ता खाले के पश्चिम दिशा में है ना ही पूर्व दिशा में है। मौका व नक्शा समान है। जबकि जमाबन्दी में रास्ता मुरब्बा नम्बर 12/18 के किला नम्बर 21/1 में 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 12/19 के किला नम्बर 1/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सही रूप से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। यदि वादगत् भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तो प्रकरण की वस्तुस्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। प्रकरण में अपीलांट मौका निरीक्षण से बचते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। जबकि यह स्थिति स्पष्ट है कि खाला पूर्व दिशा में है तथा रास्ता

पश्चिम दिशा में है एवं यह स्थिति ही सर्वमान्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उभय पक्षों द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नजरी नक्शा व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया।

(3) प्रस्तुत मामलें में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खाले की भूमि व रास्ते को लेकर हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी बतौर सबूत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि मुरब्बा नम्बर 12/18 के किला नम्बर 21/1 में 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 12/19 के किला नम्बर 1/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जोकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता विगत् 50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है।

इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि खाले से पूर्व दिशा में रास्ता है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार केवल रास्ते का अंकन है, खाला किस भूमि व किस दिशा में है इसका कोई हवाला उक्त नक्शें में अंकित नहीं किया गया है।

(3) ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् दोनों पक्षकारों द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता बताई जा रही है जिसका निस्तारण राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा एवं मौका निरीक्षण के द्वारा ही तय किया जा सकता है। उक्त स्थिति न्यायालय के समक्ष आने के उपरान्त ही वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त कार्यवाही के दौरान यदि पक्षकारों द्वारा वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आदि किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से तनाव व मुकदमेंबाजी बढ़ेंगी। अतः प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार को वादगत् भूमि के बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 15—06—2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के बाबत् टीम गठित करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी व स्थाई चिन्द के आधार पर पैमाईश करते हुए पुनः एक माह की अवधि में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर